

झारखण्ड सरकार
कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

:: संकल्प ::

श्री दिलीप कुमार महथा, कार्यपालक दण्डाधिकारी, दुमका को प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, देवघर के न्यायालय द्वारा सत्रवाद सं०- 148/95 में आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है।

श्री महथा के विरुद्ध दायर आरोप पत्र के अनुसार इनके द्वारा देवघर स्थित अपने मकान में किरायेदार के रूप में रह रहे श्री अवध किशोर तिवारी की दिनांक 27.10.1992 की सुबह अपहरण कर हत्या कराई गई।

माननीय सत्र न्यायालय के आदेश के विरुद्ध श्री महथा ने माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय में अपील वाद सं०- Cr. Appeal (PB) No.- 527/05 दायर किया तथा उन्हें जमानत मिली हुई है।

2. लम्बित कालबद्ध प्रोन्नति एवं सेवाविनियमन हेतु श्री महथा से अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है, किंतु इनके सजायाफता होने की पृष्ठभूमि के आलोक में महाधिवक्ता से परामर्श की अपेक्षा की गई। महाधिवक्ता का निम्नांकित परामर्श प्रशासी विभाग को प्राप्त हुआ :-

"In view of the conviction of Sri Dilip Kumar Mahta, the Govt. therefore, should take a decision with respect to his continuation in service before deciding the issue of granting time bound promotion"

उक्त परामर्श के क्रम में उपायुक्त, दुमका से यह सूचना माँगी गई कि अपील स्वीकार करते समय माननीय उच्च न्यायालय द्वारा निम्न न्यायालय के आदेश पर स्थगनादेश दिया गया है कि नहीं ? इस प्रश्न पर उपायुक्त, दुमका के द्वारा श्री महथा से प्राप्त आवेदन को अग्रसारित किया गया है।

3. अपने आवेदन में श्री महथा ने मा० सर्वोच्च न्यायालय के Supreme Court Rule 2(23) एवं 24 के Sec 7 का उल्लेख करते हुए कहा है कि उनके मामले में यथा स्थिति बहाल रखा जाय, इस बिन्दु पर पुनः महाधिवक्ता का परामर्श प्राप्त किया गया जो निम्नवत् है :-

"Supreme Court Rules, 1966 has been framed in exercise of Article 145 of the constitution of India which is primarily for regulating the practice and procedure of the Supreme Court. It is clear that the Supreme Court Rules is not concerned with the matters of judicial interpretation as involved in the present case."

24/9

4. तदुपरांत श्री दिलीप कुमार महथा, कार्यपालक दण्डाधिकारी, दुमका को सेवा में बनाये रखने अथवा बर्खास्त करने के बिन्दु पर कानूनी प्रावधानों के संदर्भ में समीक्षा की गई है, जो निम्नवत् है :-

भारत के संविधान का अनुच्छेद 311(2) के अन्तर्गत किसी भी कर्मी के विरुद्ध जाँचोपरान्त ही कार्रवाई की जा सकती है किंतु कुछ मामलों में यह प्रभावी नहीं है। अनुच्छेद 311(2)(ए) के अनुसार अगर किसी कर्मी को आपराधिक मामले में सजा हो गयी हो तो उस मामले में संविधान का अनुच्छेद 311(2) के प्रावधान लागू नहीं होते हैं।

मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा Union of India Vs Tulsiram Patel में पारित आदेश सदृश्य मामले में दिया गया है। श्री तुलसी राम पटेल, अंकेक्षक, क्षेत्रीय कार्यालय MES, जबलपुर को न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी जबलपुर द्वारा सजा दी गई थी। श्री पटेल के विभाग द्वारा उन्हें सुने बिना मात्र न्यायालय की सजा के आलोक में अनिवार्य सेवानिवृत्ति दे दी गयी। श्री पटेल द्वारा मा0 उच्च न्यायालय मध्य प्रदेश में सजा के विरुद्ध अपील दायर किया गया, जिसे स्वीकार करते हुए न्यायालय ने विभागीय आदेश के संचालन पर रोक लगा दी। उच्च न्यायालय के आदेश के विरुद्ध सरकार के द्वारा दाखिल अपील को मा0 सर्वोच्च न्यायालय ने स्वीकार करते हुए प्रतिवादी तुलसी राम पटेल द्वारा मा0 उच्च न्यायालय मध्य प्रदेश में दायर याचिका को खारिज कर दिया।

अन्य सदृश्य मामले में भी मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा समान आदेश पारित किया गया है। श्री भी0 के0 भास्कर को विशेष न्यायालय जालन्धर द्वारा एक साल सश्रम कारावास की सजा तथा 500/- (पाँच सौ) रुपये की अर्थदण्ड दिया गया। इस सजा के विरुद्ध श्री भास्कर के द्वारा मा0 उच्च न्यायालय पंजाब एवं हरियाणा में अपील दायर किया गया था। इसी अवधि में सम्बंधित अधीक्षण अभियंता ने उन्हें बिना कारण पृच्छा किए बर्खास्त कर दिया। इस आदेश के विरुद्ध श्री भास्कर के द्वारा ट्रिब्युनल में अपील किया गया। ट्रिब्युनल ने बर्खास्तगी संबंधी आदेश पर रोक लगा दिया। इस निर्णय के विरुद्ध दायर अपील को मा0 सर्वोच्च न्यायालय ने स्वीकृत करते हुए ट्रिब्युनल के आदेश को निरस्त कर दिया गया तथा बर्खास्तगी आदेश को बरकरार रखा।

5. वर्णित संवैधानिक प्रावधान, महाविधक्ता का परामर्श तथा मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सदृश्य मामले में पारित न्यायादेश की पृष्ठभूमि में श्री दिलीप कुमार महथा, तत्का0 अंचल अधिकारी, पत्थरगामा, गोड्डा सम्प्रति कार्यपालक दण्डाधिकारी, दुमका को सेवा में बनाये रखने का कोई औचित्य नहीं है।

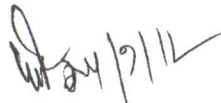
6. झारखण्ड लोक सेवा आयोग, राँची ने श्री महथा के आपराधिक मामले में सजायापता होने के कारण सेवा से बर्खास्तगी के प्रस्ताव में सहमति प्रदान कर दिया है।

24/9.

7. अतः सिविल सेवायें (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली के नियम-49(vii) के अन्तर्गत श्री दिलीप कुमार महथा, कार्यपालक दण्डाधिकारी, दुमका को इस संकल्प की निर्गत तिथि से सरकारी सेवा से बर्खास्त किया जाता है।

8. प्रस्ताव एवं संलेख प्रारूप में मा0 विभागीय (मुख्य) मंत्री का अनुमोदन प्राप्त है।

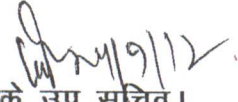
9. कंडिका (7) में अंकित प्रस्ताव में मंत्रिपरिषद का अनुमोदन प्राप्त है।


(यतीन्द्र प्रसाद)

सरकार के उप सचिव।

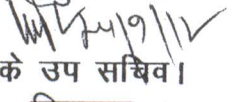
प्रतिलिपि— अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, डोरंडा, राँची को झारखण्ड राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

अनुरोध है कि राजपत्र की 100 (एक सौ) प्रतियाँ विभाग को उपलब्ध करायी जाय।


सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक— 2/आरोप— 152/2004 का. ...10.9.28.../ राँची दिनांक 24 सितम्बर, 2012

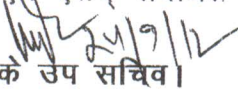
प्रतिलिपि— राज्यपाल के प्रधान सचिव/माननीय मुख्यमंत्री झारखण्ड के प्रधान सचिव/मुख्य सचिव के सचिव/विभागीय प्रधान सचिव के आप्त सचिव/प्रधान सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक— 2/आरोप— 152/2004 का. ...10.9.28.../ राँची दिनांक 24 सितम्बर, 2012

प्रतिलिपि— महालेखाकार, झारखण्ड, राँची/वित्त (वै0दा0नि0 कोषांग) विभाग, झारखण्ड, राँची/सभी कोषागार पदाधिकारी, झारखण्ड/सभी विभागाध्यक्ष, झारखण्ड/सभी प्रमंडलीय आयुक्त, झारखण्ड/सभी उपायुक्त, झारखण्ड/ श्री दिलीप कुमार महथा, कार्यपालक दण्डाधिकारी, दुमका को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. उपायुक्त, दुमका से अनुरोध है कि इस संकल्प की प्रति श्री दिलीप कुमार महथा, कार्यपालक दण्डाधिकारी, दुमका को तामिला सुनिश्चित किया जाय एवं एतद संबंधित सूचना इस विभाग को उपलब्ध कराने की कृपा की जाय।


सरकार के उप सचिव।